भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 178

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

कृषि निर्यात संबंधी प्रदर्शन

*178. श्रीमती सुप्रिया सुलेः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में भारत के कृषि निर्यात संबंधी प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में महाराष्ट्र की भूमिका क्या है;

(ख) भारत के कुल कृषि निर्यात में महाराष्ट्र द्वारा किए गए योगदान के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है तथा पिछले दशक के दौरान यह प्रतिशत कितना बढ़ा है;

(ग) क्या सरकार ने देश से विशेष रूप से महाराष्ट्र से उच्च मांग वाली फसलों के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की निर्यातोन्मुखी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों विशेष रूप से महाराष्ट्र के किसानों के लिए योजनाएं बनाने या उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कृषि निर्यात में सहायता के लिए महाराष्ट्र में उपलब्ध शीतागार तथा संभार तंत्र सहायता जैसे वर्तमान बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में नए निर्यात प्रसंस्करण जोन या कृषि-निर्यात संकुल स्थापित करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)</u>

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कृषि निर्यात संबंधी प्रदर्शन' के संबंध में श्रीमती सुप्रिया सुले तथा प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा पूछे गए लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 178 के भाग (क) से (च) का उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केंद्र सरकार, भारत से किए गए कृषि निर्यात का कुल प्रमाणित रिकॉर्ड रखती है। महाराष्ट्र राज्य के हिस्से सहित, पिछले दशक में भारत का कृषि उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	महाराष्ट्र से निर्यात किए गए कृषि उत्पाद (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	महाराष्ट्र का हिस्सा (%)
2015-16	32,089.43	5,770.61	17.98%
2016-17	33,374.02	5,153.87	15.44%
2017-18	32,213.99	5,463.96	14.29%
2018-19	38,541.68	5,906.72	15.32%
2019-20	35,585.62	5,329.04	14.97%
2020-21	41,869.37	6,408.44	15.31%
2021-22	50,208.74	8,370.95	16.67%
2022-23	53,129.55	8,984.79	16.91%
2023-24	48,804.52	6,502.67	13.32%

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.

(ग) से (च): भारत सरकार के अधीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), निर्यात संवर्धन निकाय है जो फलों, सब्जियों और उनके उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था। वाणिज्य विभाग एपीडा के माध्यम से, 15वें वित्त आयोग की अवधि (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए, एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के तहत देश भर के एपीडा के सदस्य निर्यातकों को निम्नलिखित तीन व्यापक क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

1. गुणवत्ता विकास योजना
2. बाजार संवर्धन योजना

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना

1. **गुणवत्ता विकास:** खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को वैश्विक मानक अपनाने, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और उच्च परिशुद्धता उपकरण आदि प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है।

2. **बाजार संवर्धन योजना**- इस योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में निर्यातकों की भागीदारी, बायर-सेलर मीट आयोजित करने, नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स विकसित करने और मौजूदा स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने आदि में सहायता प्रदान की जाती है।

एपीडा द्वारा महाराष्ट्र के प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे आम, अनार, अंगूर और संतरे को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय आम ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में काफी लोकप्रियता हासिल की है, जबकि अनार और आम का निर्यात ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, मस्कट में संतरों का और चीन में अंगूर का निर्यात किया जा रहा है।

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना- आयातक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों, वैश्विक मानकों के अनुरूप एकीकृत पैकहाउस तथा निर्यात सुविधाओं पर उन्नत उपकरण/मशीनरी के लिए शीत श्रृंखला नेटवर्क के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

एपीडा ने महाराष्ट्र में विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की फंडिंग की है जिसमें रत्नागिरी, जालना और वर्धा जैसे जिलों में आम, अनार, केले और संतरे के लिए कामन पैकहाउस शामिल हैं। अन्य परियोजनाओं में मुंबई, नवी मुंबई, नासिक और पुणे में बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज, विकिरण सुविधाएं (इरैडिएशन फैसिलिटी) और निर्यात केंद्र शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य क्षेत्र से ताजा उपज की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है।

एपीडा निर्यातोन्मुखी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सशक्त बना रहा है। वर्ष 2023-24 में 1,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को निर्यातकों के रूप में पंजीकृत किया गया था और एपीडा ने FPOs को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है। एपीडा ने वर्ष 2023-24 में 270 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे

किसानों और निर्यातकों सहित 23,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ। इन लाभार्थियों में महाराष्ट्र के किसान और निर्यातक भी शामिल हैं। ये कार्यक्रम निर्यात प्रमाणन, जैविक खेती और निर्यात गुणवत्ता में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित थे।

एपीडा द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.) के माध्यम से "ऑपरेशन ग्रीन" और "इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू ऐडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (कोल्ड चेन)" जैसी योजनाओं के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता/समर्थन भी प्रदान करती है। महाराष्ट्र राज्य में ऑपरेशन ग्रीन और कोल्ड चेन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

महाराष्ट्र राज्य में ऑपरेशन ग्रीन और कोल्ड चेन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज की संख्या का विवरण (दिनांक 28.02.2025 तक की स्थिति)				
क्र.सं.	योजना	स्वीकृत परियोजनाएं	क्षमता (संरक्षण और प्रसंस्करण) एलएमटी	कोल्ड स्टोरेज/फ्रोजन स्टोरेज/ नियंत्रित वायुमंडल (सीए) / संशोधित वायुमंडल (एमए) की संख्या
1	ऑपरेशन ग्रीन	7	0.75	5
2	कोल्ड चेन	77	51.13	79

स्रोत: MoFPI

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफ डब्ल्यू) बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत फसलोपरान्त हानियों को कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए शीतागार सुविधाओं के सृजन जैसे विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इस पहल के तहत महाराष्ट्र में 12,19,851 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ 665 शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफ डब्ल्यू) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के माध्यम से चुनिंदा उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम बागवानी क्लस्टर की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने

और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई पश्चात, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग, निर्यात उन्मुख और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। अब तक, पायलट आधार पर 15 क्लस्टर की पहचान की गई है। इन क्लस्टरों के तहत महाराष्ट्र में अंगूर के लिए नासिक जिले, अनार के लिए सोलापुर और केले के लिए जलगांव की पहचान की गई है।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र, जो सोयाबीन और प्याज का महत्वपूर्ण उत्पादक है, सहित देश के इन दोनों उत्पादों के किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपाय कार्यान्वित किए हैं। इनमें कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों (जैसे सोयाबीन तेल, पाम तेल और सूरजमुखी तेल) पर आयात शुल्क में 20% की वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है, और प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) समाप्त कर दिया गया है।

*****